



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 19.01.2023

- अपराध नियंत्रण की दिशा में कानपुर देहात पुलिस को मिली एक और बड़ी सफलता, थाना सट्टी पुलिस की कार्यवाही से गौतस्करी की घटना में प्रकाश में आये 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- पुलिस मुठभेड़ में गौतस्करी की घटना में प्रकाश में आये 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक कुमार सिंह व पुलिस महानिरीक्षक रेन्ज कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियंत्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी भोगनीपुर तनु उपाध्याय के नेतृत्व में थाना सट्टी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये दिनांक 22/23.12.2022 की रात्रि में थाना सट्टी क्षेत्र में हुई गौकशी की घटना के सम्बन्ध में थाना सट्टी पर मु0अ0सं0 139/2022 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ था। विववेचना के क्रम में प्रकाश में आये अभियुक्त मोहम्मद यासीन पुत्र मोहम्मद हलीम निवासी ग्राम सट्टी थाना सट्टी कानपुर देहात को मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक 18/19.01.2023 की रात्रि को ग्राम दूंदेपुर की तरफ बम्बा पटरी के पास से गिरफ्तार किया गया एवं अंधेरे का फायदा उठाकर 01 अभियुक्त 1. बड़े लल्ला पुत्र फिरोज निवासी ग्राम सट्टी थाना सट्टी कानपुर देहात मौके से भागने में सफल रहा। अभियुक्त मोहम्मद यासीन पुत्र मोहम्मद हलीम निवासी ग्राम सट्टी थाना सट्टी कानपुर देहात के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर किये गये हैं।

पूछताछ- गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि साहब हम अपने साथी बड़े लल्ला पुत्र फिरोज व मिसवाह पुत्र राजा के साथ मिलकर दिनांक 22/23.12.2022 की रात्रि को थाना सट्टी क्षेत्र में गौकशी की घटना को अंजाम दिये थे और आज फिर मैं और मेरा साथी बड़े लल्ला पुत्र फिरोज गाय की तलाश करते हुये आ रहे थे तभी आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया और मेरा साथी बड़े लल्ला अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया।

- दिनांक 22/23.12.2022 की रात्रि में ग्राम सट्टी थाना सट्टी क्षेत्र में हुई गौकशी की घटना के सम्बन्ध में थाना सट्टी पर मु0अ0सं0-139/2022 धारा-3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम बनाम अज्ञात पंजीकृत है।

अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सट्टी पर मु0अ0सं0 06/2023 धारा 307 भादवि व मु0अ0सं0 07/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. मोहम्मद यासीन पुत्र मोहम्मद हलीम निवासी ग्राम सट्टी थाना सट्टी कानपुर देहात।

बरामदगी -

- 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर
- #### अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-02/2000 धारा- 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना भोगनीपुर कानपुर देहात
2. मु0अ0सं0-139/2022 धारा-3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना सट्टी कानपुर देहात
3. मु0अ0सं0 06/2023 धारा 307 भादवि थाना सट्टी कानपुर देहात
4. मु0अ0सं0 07/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सट्टी कानपुर देहात

पुलिस टीम का विवरण-

- नि0 श्री प्रवीन कुमार यादव प्रभारी थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात ।
- उ0नि0 श्री आर.पी.सिंह थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात ।
- उ0नि0 श्री उमेश चन्द्र थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात ।
- हे0का0 102 प्रेम कुमार सिंह थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात ।
- का0 228 नीरज कुमार थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात ।